

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

वीरगंज प्रकृतिवादी - हेमराज गुर्जर (आरएनए)  
प्रकरण संख्या-208/2012

दायर दिनांक- 12.09.2012

जीसीएनएस नं. 2012/00292

उनका

भगवान दास पुत्र लखन्या जाति जाटव निवासी खिजूरी तहसील हिण्डौन सिटी  
जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

रामरति बेबा पुष्पेन्द्र जाति जाटव निवासी खिजूरी तहसील हिण्डौन जिला करौली  
—प्रतिवादीगण-06

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 12.12.12 से साक्ष्यवादी में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 208/2012 भगवानदास बनाम रामरति अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली